रजिस्टर्ड नं० शिमला 13.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

खण्ड 36] शिमला, शनिवार, 12 नवम्बर, 1988/21 कार्तिक, 1910 [संख्या 46

विषय-सूची

भाग 1	वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	1000 1003 तथा 1015
भाग 2	वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि . .	1001
भाग 3	अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाइनेन्शियल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि . .	—
भाग 4	स्थानीय स्वायत्त शासन: म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग . .	—
भाग 5	वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन	1001–1015
भाग 6	भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन	—
भाग 7	भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं	—
—	अनुपूरक	—

12 नवम्बर, 1988/21 कार्तिक, 1910 को समाप्त होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित विज्ञप्तियां 'असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश' में प्रकाशित हुई:

विज्ञप्ति की संख्या	विभाग का नाम	विषय
क्रमांक एल० एल० आर० (डी)-6(8) 11/88-लैजिस्लेशन, दिनांक 7 नवम्बर, 1988.	विधि विभाग	कुष्ठ रोगी (हिमाचल प्रदेश निरसन) अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 14), इसके प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ सहित।
No. FDS/BI P-7-181 (Supply) /86-4945-5005, dated 28th October, 1988.	Office of the District Magistrate, Bilaspur district (H.P.).	Fixing the maximum retail sale price of certain food commodities for whole of Bilaspur district for a period of one month w.e.f. 10th November, 1988.
No. 3-161/83-CS-7838-7967, dated 22nd October, 1988.	Office of the District Magistrate, Solan district, Solan.	Fixing the maximum retail sale price of certain food commodities including taxes and all charges for whole of Solan district for a period of one month w.e.f. 10th November, 1988.
No. Fin (C) B (7) 6/88, dated 7th November, 1988.	Finance Department	The Himachal Pradesh Civil Service (Revised Pay) Rules, 1988.

भाग-I—वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन खेती एवं संरक्षण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 अक्तूबर, 1988

सं० वन-1 (एफ) 4-2/84 (एस०सी०).—अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को प्रतीत होता है कि निम्नलिखित भूमि जो जुब्बल (समुचित) गुंगली लोक निर्माण विभाग की सड़क के नीचे स्थित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए वन मण्डलाधिकारी व भू-संरक्षण के कार्यालय एवं वन मण्डलाधिकारी और उनके स्टाफ के आवास के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है । अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इस से सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

उपरोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, शिमला जिला, हिमाचल प्रदेश के समक्ष आपत्ति दायर कर सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला: शिमला तहसील: जुब्बल

गांव	खसरा नं०	क्षेत्रफल बीघा बिस्वा
1	2	3
गुंगली (जुब्बल)	454	6 10

आदेश द्वारा,
एम० एस० सिद्धू,
आयुक्त एवं सचिव ।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं

यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः* भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त* प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं कि जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और इस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

*मुहाल/गांव बलदून में वाटर सप्लाई नूरपुर शहर के निर्माण हेतु ।

संख्या सिंचाई II-50/88-कांगड़ा ।

शिमला-2, 27 अक्तूबर, 1988.

विवरणी

जिला: कांगड़ा तहसील: नूरपुर

गांव/मौजा	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयरों में		
1	2	3	4	5
बलदून	20/1	0	04	31
	20/2	0	04	71
	19	0	00	49
	18	0	03	46
	17	0	03	74
	16	0	05	74
	15	0	02	20
	किता .. 7	0	24	75

*मुहाल/गांव तलाड़ा में पम्प हाऊस के निर्माण हे।

संख्या पी० वी० डब्ल्यू० (पी० एच०) II-49/88-कांगड़ा ।

शिमला-2, 27 अक्तूबर, 1988.

तलाड़ा	282	0	01	20
	283	0	02	12
	284	0	07	90
	किता .. 3	0	11	22

आदेश द्वारा,
अ० कु० मुखोपाध्याय,
सचिव ।

बहूद्देश्यीय परियोजना एवं विद्युत विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 7 सितम्बर, 1988

संख्या विद्युत-छ(5)-48/88.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी० सी०) के अर्थान्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः मुहाल बरेटी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा में 33 के० वी० सब-स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है । अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और इस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन करने पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला : कांगड़ा तहसील : देहरा

मौजा/मुहाल	खसरा नं0	क्षेत्र (हैक्टेयर)		
बरेटी	223	0	15	61
	224	0	07	56
	225	0	18	27
किता . .	3	0	41	44

शिमला-2, 6 अक्तूबर, 1988

संख्या विद्युत-छ(5)-56/88.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड जोकि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी0 सी0) के अर्थान्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः उप-ग्राम काफनू, मौजा भावा, तहसील निचार, जिला किन्नौर में संजय जल विद्युत परियोजना के चारों ओर सड़क निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन करने पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, थिसिल बैंक, शिमला-3 के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला : किन्नौर तहसील : निचार

उप-ग्राम	खसरा नं0	क्षेत्र हैक्टेयरों में		
1	2	3	4	5
काफनू	178/2/1	0	03	51
किता . .	1	0	03	51

शिमला-2, 6 अक्तूबर, 1988

संख्या विद्युत-(छ) (5)-51/88.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना निगम सीमित (एन0 एच0 पी0 सी0), जोकि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी0 सी0) के अर्थान्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः मुहाल शेरपुर, तहसील भटियात, जिला चम्बा में चमेरा जल विद्युत परियोजना के एग्रीगेट प्रोसैसिंग प्लांट (अतिरिक्त सुविधाओं) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, चमेरा जल विद्युत परियोजना, हिलफूट्स, डाकखाना मुलतानपुर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विनिर्देश

जिला : चम्बा तहसील : भटियात

मुहाल	खसरा नं0	क्षेत्र बी0	वि0
1	2	3	4
शेरपुर	185/1	0	2
ह0 ब0 नं0 61	68	0	12
	1354/981/1	0	7
किता . .	3	1	1

आदेश द्वारा,
कैलाश चन्द महाजन,
सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 सितम्बर, 1988

संख्या लो0 नि0 (ख) 7(1)36/88.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः गांव जसूर और भटका, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा में मुकेरियां-तलवाड़ा-नूरपुर-चकीधार सड़क 45/0 से 49/2 तक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में विनिर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल,

हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और इस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

[*Authoritative English text of this Government notification No. Lok Nirman (Kh) 7(1)-36/88, dated 15-9-1988 as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India.*]

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 15th September, 1988

No. Lok Nirman (Kh) 7(1)-36/88.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh that land is likely to be required to be taken by the Himachal Pradesh Government at the public expense for a public purpose, namely for the construction of Mukerian-Talwara-Nurpur-Chakidhar road in village Jasoor and Bhatka, Tehsil Nurpur, District Kangra, it is hereby notified that the land in the locality discribed below is likely to be acquired for the above purpose.

2. This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern.

3. In exercise of powers conferred by the aforesaid section, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to authorise the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

4. Any person interested, who has any objection to the acquisition of the said land in the locality may, within thirty (30) days of the publication of this notification, file an objection in writing before the Collector of Land Acquisition, Himachal Pradesh Public Works Department, Kangra.

विवरणी
SPECIFICATION

जिला : कांगड़ा
District : KANGRA

तहसील : नूरपुर
Tehsil : NURPUR

गांव Village 1	खसरा नं० Khasra No. 2	क्षेत्र हैक्टेयरों में Area in Hectares 3	4	5
जसूर JASOOR	634	0	00	66
	641/1	0	00	52
	644/1	0	03	62
	628/1	0	00	45
	649/1	0	00	48
	649/1/1	0	00	33
	653/1	0	00	32
	655/1	0	03	19
	630/1	0	03	28
	624/1	0	01	20
	626/1	0	00	60
	619/1	0	00	12
	618/1	0	00	52
	562/1	0	00	28
	561/1	0	00	44
	557	0	02	31
	725/1	0	00	60
	656/1	0	11	49
	730/1	0	00	34
	726/1	0	00	18

1	2	3	4	5
	727/1	0	00	16
	726/1	0	00	32
	728/1	0	00	16
	729/1	0	00	27
	727/1	0	00	24
	728/1	0	00	14
	729/1	0	00	16
	745/1/1	0	00	57
	740/1	0	01	68
	742	0	00	98
	740	0	00	26
	741	0	00	68
	739/1	0	01	28
	738/1	0	00	35
	720/1	0	00	20
	712/1	0	00	39
	712	0	00	39
	713/1	0	00	37
	711/1	0	00	52
	706	0	01	10
	705/1	0	00	30
	708/1/1	0	00	80
	708/1	0	00	40
	704	0	00	17
	704/1	0	01	04
	703/1	0	01	84
	703/1	0	02	35
	902/1	0	00	12
	841/1	0	00	81
	842/1	0	00	27
	851/1	0	05	36
	852/1	0	00	77
	853/1	0	03	20
	763/1	0	01	44
	768	0	00	46
	770	0	00	84
	789	0	00	15
	790	0	00	14
	787/1	0	00	38
	791/1	0	00	12
	803/1	0	00	06
	804/1	0	00	28
	807/1	0	00	02
	810/1	0	00	18
	812/1	0	00	15
	818/1	0	00	99
	829/1	0	01	44
	840/1	0	06	36
	840/1	0	03	48
	882/1	0	02	66
	837/1	0	00	52
	882	0	04	32
	883/1	0	01	28
	881	0	01	19
	880/1	0	00	69
	880/1	0	00	55
	884/1	0	01	26
	885/1	0	01	20
	886/1	0	01	83
	892/1	0	00	58
	877	0	00	84
	876/1	0	00	72
	876/2	0	00	40
	877/1/1	0	00	40
	878/1	0	00	95
	879/1	0	01	20
	897	0	00	74
	894/1	0	01	02
	893/1	0	02	60
	893/1/1	0	00	98
	967/1	0	00	66
	962/1	0	01	40
	973/1	0	00	26
	957/1	0	00	52
	975/1	0	00	48
	977/1	0	00	36
	981/1	0	01	38
	990/1	0	03	68
	990/1	0	00	54
	991/1	0	00	80
	991/1	0	00	48
	994/1	0	01	00

1	2	3	4	5
	1001/1	0	00	60
	1001/1	0	00	30
	1002/1	0	00	28
	1002/1	0	00	18
	1003/1	0	00	66
	1004/1	0	00	18
	1007/1	0	00	33
	1009/1	0	00	40
	1008	0	00	66
	1014/1	0	00	62
	1019/1	0	00	60
	1019/2	0	00	15
	1020/1	0	00	42
	1372/1	0	01	56
	1382/1	0	00	54
	1382/1	0	02	20
	1383/1	0	01	16
	1383/1	0	02	40
	1387/1	0	00	37
	1384	0	01	31
	1384/1	0	01	29
	1385/1	0	00	69
	1385/1	0	01	32
	1386/1	0	02	44
	1031/1	0	02	36
	1032/1	0	01	66
	1031/1	0	00	40
	1027/1	0	02	56
	1027/1	0	02	60
	1378/1	0	01	58
	1377/1	0	01	68
	1377/1	0	00	98
	1374/1	0	03	99
	1374/1	0	02	20
	968	0	01	44
	969/1	0	00	55
	973/1	0	00	58
	1036/1	0	02	85
	1036/1	0	00	64
	1036/2	0	03	71
	1035/1	0	00	54
	1033/1	0	00	48
	1034/1	0	00	72
	1032/1	0	00	84
	1033/1	0	00	19
	1373/1/1	0	00	40
	1373/1	0	01	00
	1358/1	0	00	60
	1357/1	0	00	10
	1356/1	0	02	10
	1355/1	0	01	62
	1355/1	0	03	40
Kitta ..	155	1	80	19
भटका BHATKA	1212/1	0	08	09
	1212/2	0	00	28
	1213/2	0	05	70
	1214/2	0	00	80
	1217/2	0	01	61
	1218	0	02	09
	1219/1	0	03	69
Kitta ..	7	0	22	26

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 11 अक्तूबर, 1988

संख्या लो0 नि0 (ख) 7 (1) 132/87.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव फागला, तहसील व जिला शिमला में बल्देयां-धर्मपुर सड़क के निर्माण के लिए भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विण्टर फील्ड, शिमला-3 को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, विण्टर फील्ड, शिमला-3 उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है ।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, विंटर फील्ड, शिमला-171003 के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला : शिमला | तहसील : शिमला

गांव	खसरा संख्या	क्षेत्र बी0	क्षेत्र बि0
फागला	161/1	1	10
	162/1	0	2
	164/1	0	12
	165/1	0	1
कित्ता ..	4	2	5

शिमला-171002, 13 अक्तूबर, 1988

संख्या लो0 नि0 (ख) 7 (1) 18/88.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव रूनकली दीगर, तहसील ठियोग, जिला शिमला में मन्धु-चलोग सड़क के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अन्तर्गत इससे सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता (I), लोक निर्माण विभाग, शिमला-2 को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, शिमला-2 के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला : शिमला | तहसील : ठियोग

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र बीघा	क्षेत्र बिस्वा
1	2	3	4
रूनकली दीगर	160/1	0	2
	172/1	0	15
	167/1	0	6
	238/185/1	1	11
	237/185/1	0	2
	226/180/1	0	11
कित्ता ..	6	3	7

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

भाग 2—वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

निदेशालय, भू-एकत्रीकरण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 अक्तूबर, 1986

संख्या राज-भू0 ए0 (प0)-14 (1)-हमीरपुर-50/80.—हिमाचल प्रदेश भू-जोत एकत्रीकरण तथा (खण्डकरण निवारण) अधिनियम, 1971, सन् 1971 ईस्वी हिमाचल प्रदेश का 20वां अधिनियम की धारा 14 में निहित तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 9-1/73-रेव-II, दिनांक 4 मई, 1977 द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एच0 एस0 अटवाल, आई0 ए0 एस0, निदेशक, भू-एकत्रीकरण विभाग, हिमाचल प्रदेश एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि आम जनता के हित में तथा भूमि में बेहतर खेती बाड़ी के प्रयोजन से हिमाचल प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित गांवों में भू-जोत एकत्रीकरण की योजना बनाने का निर्णय किया है:—

तहसील/उप-तहसील : हमीरपुर जिला : हमीरपुर

क्रमांक	नाम गांव या टीका	नाम तप्पा या मौजा	नम्बर हदबस्त	रकबा एकड़ों में
1	2	3	4	5
1	लम्बेहड़ा	बलिहड़िया	46	230
2	अटवाड़	कुआलता	45	173
3	दूगली		45	109
		तहसील/उप-तहसील:		
4	[illegible]	भोरंज मैहलता	42	130
		तहसील हमीरपुर		
5.	छिन्दर	कुआलता	45	67
6	[illegible]	"	45	57
7	[illegible]	"	45	57
8	[illegible]	"	45	28
9.	[illegible]	"	45	57
10	[illegible]	"	45	43
		तहसील : बड़सर		
11.	[illegible]	पाहलू	40	124
	तहसील : इन्दौरा			जिला : कांगड़ा
12.	[illegible] बाग	[illegible] बाड़ी		1719
13.	[illegible] महला	"		837
14.	[illegible] जागल	"		644

शुद्धि-पत्र

शिमला-2, 8 अक्तूबर, 1986

संख्या राज0 भू0 ए0 (प) 14(1)-हमीरपुर-50/80-10235-40.—कृपया इस विभाग द्वारा की गई अधिसूचना अधीन धारा 14(1) संख्या राज0 भू0 ए0 (प) 14(1), हमीरपुर 50/80-4120-73, दिनांक 13-5-86 में क्रमांक संख्या 156 पर दर्शाये गए ग्राम [illegible] नं0 हदबस्त 303, रकबा 121 एकड़ के बजाये ग्राम [illegible] नं0 हदबस्त 297 रकबा 385 एकड़ पढ़ा जावे।

शिमला-2, 1 मार्च, 1988

संख्या राज0 भू0 ए0 (प) 14 (1) हमीर-50/80.—कृपया इस विभाग द्वारा की गई अधिसूचना अधीन धारा 14 (1) संख्या राज0 भू0 ए0 (प) 14 (1), हमीरपुर 50/80-4120-73, दिनांक 13-5-86 में क्रमांक संख्या 115 पर दर्शाए गए ग्राम [illegible] नम्बर हदबस्त 98 रकबा 386 एकड़ की बजाए 408 एकड़ पढ़ा जावे।

हस्ताक्षरित/-
निदेशक।

भाग 3—अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाइनेन्शियल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि

शून्य

भाग 4—स्थानीय स्वायत्त शासन: म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग

शून्य

भाग 5—वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन

In the Court of Shri K. C. Sood, District Judge, Kangra at Dharamshala, Himachal Pradesh

In Re: Guardianship Act Case No. 8 of 1988

Smt. Nirmala Devi widow of Shri Gian Chand *alias* Gian Singh son of Shri Raghubir Singh, resident of Upperli Barel, Mauza Ghaniyara, Tehsil Dharamshala, District Kangra . . *Petitioner.*

Versus

The general public . . *Respondent.*

Versus

The general public.

Whereas the above named petitioner has filed an application in this court under section 8 of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 for permission to sell the landed property of minors Sarvshri Kamaljit *alias* Kamaljit Singh, aged 15 years, Paramjit *alias* Paramjit Singh, aged 13 years, sons and Kumari Manju *alias* Manju Bala, aged 9 years, daughter of Shri Gian Chand *alias* Gian Singh son of Shri Raghubir Singh of Upperli Barel, Mauza Ghaniyara, Tehsil Dharamshala, District Kangra comprised of Khata No. 11, Khatauni No. 22, Khasra No. 537, area measuring 0-33-99 hectares, jamabandi for the year 1984-85 situate in Village Jhikli Barol, Mauza Khaniyara, Tehsil Dharamshala, District Kangra to the extent of 3/56th shares.

Hence this proclamation is hereby issued against the general public of the illaqua and the near relations of the aforesaid minors to file objections, if any, to the grant of such permission in favour of the petitioner in this Court on November 19, 1988 at 10.00 A.M. personally or through pleader or any authorised agent failing which petition will be heard and disposed of *exparte*.

Given under my hand and the seal of the court this the October 14, 1988.

Seal.

K. C. SOOD,
District Judge,
Kangra at Dharamshala.

In the Court of Shri Indar Ram, Senior Sub-Judge, Mandi, District Mandi, Himachal Pradesh

In the matter of:

Guardian and Wards Act No. 50 of 1988.

Shri Bhag Chand son of Almu, r/o Chet, P. O. Chouni, Tehsil Thunag, District Mandi, H. P. . . *Petitioner.*

Versus

General public . . *Respondent.*

Application u/s 10 of the Guardians and Wards Act, *for the appointment of guardian for the person* and property of minor Pritam Singh s/o late Jiun Ram.

Whereas in the above noted case the petitioner has moved an application for appointment of guardian of minor Pritam Singh.

Notice is hereby given to the general public, relations and kinsman of the minor that if anybody has any objection to the appointment as guardian person and *property of minor, the same be filed in this court on* or before 18-11-1988 at 10.00 A. M. otherwise the application will be decided *ex parte*.

Given under my hand and seal of the court today the 29th September, 1988.

Seal.

INDAR RAM,
Senior Sub-Judge,
Mandi, Himachal Pradesh.

In the Court of Shri Shamsher Singh, Senior Sub-Judge, Una, H. P.

Succ. Act Petition No. 6 of 1988

Lachhman Singh s/o Sher Singh, r/o village Bhadsali Tehsil & District Una H.P. . . *Petitioner.*

Versus

General public . . *Respondent.*

To

The general public.

Whereas the above named petitioner has filed an application in this court under section 372 of the Indian Succession Act for the grant of Succession Certificate in respect of the assets of late Shri Sher Singh son of Shri Amar Singh, r/o village Bhadsali, Tehsil & District Una, who died on 9-9-1987.

Hence this proclamation is hereby issued to the general public of the illaqua and the kins of the deceased to file objections, if any to the grant of such Succession Certificate in this court on 15-11-1988 at 10 A. M. personally or through pleader or any other authorised agent failing which the petition will be heard and disposed of *ex parte*.

Given under my hand and seal of the court this 25th day of October, 1988.

Seal.

SHAMSHER SINGH,
Senior Sub-Judge,
Una, H. P.

In the Court of Sh. A. C. Thalwal, Sub-Judge 1st Class, Amb, District Una (H. P.)

Civil Suit No. 92 of 1984

Sat Parkash *Versus* Keshav Dass

Defendants No.:

8. Bawa son of Sansaro d/o Lakhu, 10. Kishani d/o Lakhu, 32. Sher Singh s/o Ram Chand, all caste Rajput, r/o Village Mubarikpur, Tehsil Amb, District Una, 44. Jashan Dev Singh s/o Raghubir Singh, 47. Santosh Thakur wd/o Jit Singh, 52. Gurdial Singh, 53. Rajinder Singh, 54. Baljit Singh ss/o Roop Singh, all caste Rajput, r/o Saghnai, Tehsil Amb, District Una, H. P.

Lrs. of Deft. No. 37:

1. Kuljit Singh, 2. Krishan Devi Singh ss/o, 3. Kaushalya Devi wd/o, 4. Kanta Devi, 5. Saroj Kumari ds/o Sher Singh deceased deft. No. 37, all caste Rajput, r/o Mubarikpur, Tehsil Amb, District Una.

Lrs. of Deft. No. 45 and 50:

1. Bimla Devi d/o Basan Devi wd/o Jagdish Singh Deft. No. 45 at present living at her in-laws house in Village Saghnai, Tehsil Amb, District Una, 2. Dalbir Singh s/o, 3. Soma Devi wd/o Parkash Dev Singh deft. No. 50, caste Rajput, r/o Saghnai, Tehsil Amb, District Una, H. P. . . *Defendants.*

SUIT FOR DECLARATION

Whereas in the above noted civil suit, it has been proved to the satisfaction of this court that the above named defendants cannot be served through an ordinary way of service as summons issued several times in their names have come back unserved. Hence this proclamation under Order 5, Rule 20, C.P.C. is hereby issued against them to appear in this Court on 25-11-1988 personally or through an authorised agent or pleader to defend the case, failing which an *ex parte* proceedings shall be taken against them.

Given under my hand and the seal of this court this 24th day of October, 1988.

Seal.

A. C. THALWAL,
Sub-Judge 1st Class,
Amb, District Una.

In the Court of Shri A. C. Thalwal, Sub-Judge, 1st Class, Amb, District Una (H. P.)

Civil Suit No. 46/86

Kiru Ram *Versus* Jaiwanti

Defdts. No.:

3. Sudarshan Kumar, 4. Bachittar Kumar, 5. Surinder Kumar, 7. Gian Chand ss/o Hans Raj, 17. Usha Devi, 19. Brij Bala ds/o Roop Lal, 22. Santya Dass s/o, 24. Parmeshwari, 25. Gurdevi ds/o Tiru Ram, 29. Rattan Chand, 30. Jagdish Chand, 31. Pritam Chand ss/o, 32. Satya Devi d/o Dhani Ram, 33. Maya Devi d/o Ram Rakhi d/o Tiru Ram, all caste Brahmin, r/o Village Naloh, Tehsil Amb, District Una, H. P.

SUIT FOR DECLARATION

Whereas in the above noted case, it has been proved to the satisfaction of this court that the above named defendants cannot be served in the ordinary course of service as summons issued several times in their names have come back unserved. Hence this proclamation under Order 5, Rule 20, C.P.C. is hereby issued against them requiring the above named defendants to appear in this court on 8-12-1988 at 10.00 A.M. personally or through an authorised agent or pleader to defend the case, failing which an *ex parte* proceedings shall be taken against him.

Given under my hand and the seal of this court today the 25th day of October, 1988.

Seal.

A. C. THALWAL,
Sub-Judge 1st Class,
Amb, District Una.

In the Court of Shri A. C. Thalwal, Sub-Judge 1st Class, Amb, District Una (H. P.)

Civil Suit No. 45/87

Satya Devi w/o Kartar Singh, r/o village Mawa Kaholan, Tehsil Amb, District Una, (H. P.) ..*Plaintiff.*

Versus

1. Hardev Singh son of Shri Ram Kishan, caste Rajput, r/o Village Mawa Kaholan, Tehsil Amb, District Una (H. P.)

2. Phoola Singh *alias* Phoola s/o Shri Kanshi Ram, r/o Village Mawa Kaholan, Tehsil Amb, District Una, (H. P.)

Versus:

Phoola Singh *alias* Phoola s/o Shri Kanshi Ram, r/o Village Mawa Kaholan, Tehsil Amb, District Una, (H. P.)

SUIT FOR RECOVERY OF Rs. 3,000/-

Whereas in the above noted case, it has been proved to the satisfaction of this Court that the above-named defendant No. 2 can not be served in the ordinary course of service as summons issued several times in his name have come back unserved. Hence this proclamation under Order 5, Rule 20 CPC is hereby issued against him requiring the above-named defendant to appear in this Court on 28-11-1988 at 10.00 A. M. personally or through an authorised agent or pleader to defend the case, failing which an *ex parte* proceedings shall be taken against him.

Given under my hand and the seal of this Court this 25th day of October, 1988.

Seal.

A. C. THALWAL,
Sub-Judge 1st Class,
Amb, District Una.

In the Court of Shri V. K. Gupta, Sub-Judge 1st Class, Paonta Sahib

Case No. 70/1 of 87

UCO Bank, Badripur through its Branch Manager and Principal Officer Shri B. B. Bagga and Shri R. K. Nahar, Officer, UCO Bank, Badripur, General Attorneys of the Bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970. ..*Plaintiff.*

Versus

1. Shri Chattar Singh s/o Shri Kirpal Singh at present resident of Gagan Battreya Shodal Mandi, Jullundur City (Punjab).

2. Shri Parkash Chand Mangal s/o. Shri K. C. Mangal, r/o Bhuppur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. ..*Defendants.*

Suit for recovery of Rs. 7152.55.

PROCLAMATION UNDER ORDER 5, RULE 20, C.P.C.

Whereas in the above-noted case, it has been proved to the satisfaction of this court that the service of the above-named defendants cannot be affected in the normal course of service. Hence this proclamation is hereby issued against them to appear before this court on 2-12-1988 at 10 A. M. personally or through an authorised agent or pleader to defend the caste, failing which *ex parte* proceedings shall be taken against them.

Given under my hand and the seal of this court today this 15th Day of October, 1988.

Seal.

V. K. GUPTA,
Sub-Judge 1st Class,
Paonta Sahib, H. P.

PROCLAMATION UNDER ORDER 5, RULE 20 C.P.C.

In the Court of Shri B. L. Soni, Sub-Judge 1st Class, Rampur BSR., District Shimla, Himachal Pradesh

Civil Suit No. 25-1 of 1987

Punjab National Bank, Kumarsain, District Shimla, Himachal Pradesh through it's Branch Manager ..*Plaintiff.*

Versus

Shri Balak Ram s/o Shri Sova Ram, r/o village Bhanalag, Tehsil Kumarsain, District Shimla, Himachal Pradesh and others ..*Defendants.*

SUIT FOR RECOVERY OF Rs. 2606.90 P

To

Meena Dhiman,
Nurse,
Primary Health Centre,
Kumarsain, District Shimla, Himachal Pradesh.

Whereas in the above-noted suit, it has been proved to the satisfaction of this court that the defendant above-named is evading the service of the summons and she cannot be served in the normal course of service.

Hence, this proclamation is hereby issued against him to appear in this court on 21-11-1988 at 10 A. M. personally or through an authorised agent or pleader to defend the suit failing which an *ex parte* proceeding will be taken against him.

Given under my hand and the seal of the court, today the 27th day of October, 1988.

Seal.

B. L. SONI,
Sub-Judge 1st Class,
Rampur BSR., District Shimla (H. P.).

PROCLAMATION UNDER OADER 5, RULE 20, C. P. C.

In the Court of Shri B. L. Soni, Sub-Judge 1st Class, Rampur BSR. District Shimla H. P.

Civil Suit No. 114-1 of 1985

Sutlej valley Traders, Registered Office, at Dutt Nagar, through Shri Basant Lal Gaggal, resident of village Duttnagar, Tehsil Rampur BSR. District Shimla H. P. ..*Plaintiff.*

Versus

Shri Vijay Singh resident of village Sharog, P. O. Arahal, Tehsil Rohru, District Shimla H. P. ..*Defendant.*

SUIT FOR RECOVERY OF Rs. 1450/-

To

Shri Vijay Singh, Resident of village Sharog, P. O. Arahal, Tehsil Rohru, District Shimla, H. P.

Whereas in the above-noted suit, it has been proved to the satisfaction of this court that the defendant above-named is evading the service of the summons and he cannot be served in the normal course of service.

Hence this proclamation is hereby issued against him to appear in this court on 13-12-1988 at 10 A. M. personally or through an authorised agent or pleader to defend the suit failing which an *ex parte* proceeding will be taken against him.

Given under my hand and the seal of the court

today the 29th October, 1988.

Seal.

B. L. SONI,
Sub-Judge 1st Class,
Rampur BSR. District Shimla, H. P.

In the Court of Shri J. S. Mahantan, Sub-Judge 1st Class, Sundeernagar (H. P.)

In the matter of:—

Najku wd/o Shri Mangat Ram, r/o Bhuvana, P. O. Jarol, Tehsil Sundernagar, District Mandi,(H. P.) . . *Petitioner.*

Versus

General public

Succession Petition No. 34/88

To

The general public.

Whereas in the above-noted case, the petitioner Smt. Najku has filed a petition in this court under section 372 of the Indian Succession Act for the grant of Succession Certificate in respect of the amount deposited in State Bank of India, Chatrokhari against saving account No. 1054 by late Shri Mangat Ram s/o Shri Jethu, r/o Bhuvana, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H. P. who died on 12-7-88.

Hence this proclamation is hereby issued to the above-named respondent of the Illaqua, Kith and kins of the deceased to file an objection if any, to the grant of such certificate in this court on 29-11-1988 at 10 A. M. personally or through a pleader, failing which the petition will be heard and disposed of *ex parte.*

Given under my hand and seal of the court today 15th October, 1988.

Seal.

J. S. MAHANTAN
Sub-Judge, 1st Class,
Sundernagar H. P.

In the Court of the Sub-Judge 1st Class, Sarkaghat, District Mandi, Himachal Pradesh

In the matter of :—

C. S. No. 51/88.

Laju *alias* Laja Ram s/o Lalman, resident of village Lahsrana Ilqa. Sandhole, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, Himachal Pradesh . . Plaintiff.

Versus

Bhagi Rath *alias* Bhagi s/o Sahai, r/o Datwar, Ilqa. Sandhole, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, Himachal Pradesh . . Defendants.

Notice to :—1. Shrimati Dhani, 2. Shrimati Rajo, d/o Dev Dutt, 3. Shrimati Mathura wd/o Dev, 4. Shrimati Bhola d/o Lachhman, all resident of village Lahsrana, Ilqa. Sandhole, Sub Tehsil Sandhole, District Mandi, Himachal Pradesh . . Performe Defendant.

Whereas in the above-noted case it has been proved to the satisfication of this court that the above-named performe defendants cannot be served in the ordinary course of service as they are evading the service of the summons issued to them.

Hence this proclamation under order 5, rule 20, C.P.C. are issued to them to appear before this court on 17-11-1988 at 10 A. M. personally or through pleader or authorised agent to defend the case failing which the same shall be heard and *ex parte* proceeding will be taken against him.

Given under my hand and the seal of this court today the 14th day of October, 1988.

Seal.

D. S. KHENAL,
Sub-Judge 1st Class,
Sarkaghat, District Mandi (H. P.).

न्यायालय श्री तरुण श्रीधर, आई० ए० एस०, उप-मण्डल समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा

मुकद्दमा नं० 16/88 तारीख पेशी 17-10-88

पूर्ण चन्द आदि बनाम किशोर कुमार आदि

नोटिस बनाम :

1. अनूप कुमार सुपुत्र मनोहर लाल ।
2. कुलदीप कुमार सुपुत्र रतन चन्द समस्त निवासी पुराना कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

अभियोग बाबत दरुस्ती इन्द्राज खिलाफ आदेश ए० सी०, द्वितीय श्रेणी कांगड़ा, दिनांक 3-12-87.

उपरोक्त उनवान मुकद्दमा में उक्त प्रतिवादियों को इस न्यायालय द्वारा समन जारी हुए किन्तु उन पर तामील समन न हो सकी । तथा न्यायालय को यकीन हो गया है कि उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती । अतः उन्हें इस राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 28-11-1988 को प्रातः 10 बजे स्थान कांगड़ा हमारे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें । हाजिर न आने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी । उसके पश्चात् कोई उजर या एतराज काबले समायत न होगा ।

आज दिनांक 21-10-1988 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

तरुण श्रीधर,
उप-मण्डल समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कांगड़ा ।

अदालती इश्तहार

ब अदालत श्री राम स्वरूप गुप्ता, कुलैक्टर सब-डिविजन पावटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० 12/10 तारीख दायर 4-4-88

जटिया सुपुत्र श्री देवी सिंह व अन्य (13) अपीलान्ट निवासी ग्राम माण, तहसील पावटा साहिब, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

रतन सिंह सुपुत्र श्री बुधिया व अन्य (61) प्रतिवादी निवासीगण ग्राम माण, तहसील पावटा साहिब, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश ।

नोटिस बनाम:—

1. श्री खतरी राम सुपुत्र श्री मोहना, निवासी ग्राम माण, तहसील पावटा साहिब, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश ।
2. श्री बीर सिंह सुपुत्र श्री नेताम, निवासी ग्राम माण, तहसील पावटा ।
3. श्री णपा सुपुत्र श्री शिबु, निवासी ग्राम माण, तहसील पावटा ।
4. श्री हरिया सुपुत्र श्री नेतम, निवासी ग्राम माण, तहसील पावटा ।
5. श्री मदन सिंह सुपुत्र श्री मधु, निवासी ग्राम माण, तहसील पावटा ।
6. श्री अतर सिंह सुपुत्र श्री णपा, निवासी ग्राम माण, तहसील पावटा ।
7. श्री सिन्वा सुपुत्र श्री बदरू, निवासी ग्राम माण, तहसील पावटा ।
8. श्रीमती मत्रो पत्नी श्री खतरी, निवासी ग्राम बनोर, तहसील पावटा ।
9. श्रीमती बारा पत्नी श्री शोभा राम, निवासी ग्राम नरली, तहसील पावटा ।

10. श्रीमती सुमारी पत्नी श्री तुलसी, निवासी ग्राम कान्डो च्योग, तहसील पावटा ।
11. श्रीमती सुमारी पत्नी श्री तुलसी, निवासी ग्राम कान्डो च्योग, तहसील पावटा ।
12. मृतक श्री पन्जी के जाइज वारसन द्वारा श्री पंन्चीया सुपुत्र श्री पतेहू, निवासी ग्राम माशु, (जोड़ीदारा भाई) ।
13. मृतक जग राम के जाइज वारसान—जालम सिंह, लाल सिंह, गुमान सिंह व मेहर सिंह पुत्रान श्री जग राम, निवासी माशु ।
14. श्रीमती माना सुपुत्री श्री जक राम पत्नी श्री चेतु, निवासी मारली, तहसील पावटा ।
15. मृतक भलेटू के जाइज वारसान—चान्न सिंह सुपुत्र श्री भलेटू, निवासी ग्राम माशु, तहसील पावटा ।
16. मृतक मेहर सिंह के जाइज वारसान—द्वारा श्री बारू राम ।
17. मृतक चेत राम के जाइज वारसान—अर्जुन सिंह व फते सिंह, मोहन सिंह व सुरेश पुत्रान श्री चेतराम, निवासी माशु ।
18. मृतक कलमु के जाइज वारसान—हिरा, मेहरू, कान्शु पुत्रान श्री कलमु, निवासी ग्राम माशु, तहसील पावटा ।

रविजन पटीशन बर खिलाफ हुक्म सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पावटा साहिब

इश्तहार

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में उपरोक्त प्रतिवादी नं० 1 ता 17 को कई बार अदालत हजा में समन जारी किये मगर प्रतिवादी नं० 1 ता 17 पर समन की तामील नहीं हो सकी । इससे अदालत हजा को पूर्ण यकीन हो चुका है कि इन पर तामील समन साधारण तरीका से होनी कठिन है । अतः उपरोक्त प्रतिवादी 1 ता 17 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 30-11-88 को सुबह 10.00 बजे हमारी अदालत मुकाम पावटा में असालतन या वकालतन उपस्थित होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा कार्यवाही यकतरफा अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 21-10-1988 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । आर० एस० गुप्ता,
कलैक्टर,
सब-डिविजन पावटा साहिब ।

अदालती इश्तहार

ब अदालत श्री राम स्वरूप गुप्ता, कलैक्टर, सब-डिविजन, पावटा साहिब, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० 13/10 तारीख दायर: 4-8-88

जटिया सुपुत्र श्री देवी सिंह व अन्य (13) अपीलान्ट निवासी ग्राम माशु, तहसील पावटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

रतन सिंह सुपुत्र श्री बुधिया व अन्य (34) प्रतिवादीगण निवासी ग्राम माशु, तहसील पावटा साहिब, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश ।

नोटिस बनाम :

1. श्री अमर सिंह सुपुत्र श्री भूपा, निवासी ग्राम माशु, तहसील पावटा ।
2. श्री चान्न सिंह सुपुत्र श्री सबला निवासी, ग्राम माशु, तहसील पावटा साहिब, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश ।
3. श्री मोती राम सुपुत्र श्री बरडू, निवासी ग्राम माशु, तहसील पावटा साहिब ।
4. श्री सिन्धा सुपुत्र श्री बरडू, निवासी ग्राम माशु, तहसील पावटा साहिब ।
5. श्री हरिया सुपुत्र श्री बेमडू, निवासी ग्राम माशु, तहसील पावटा साहिब ।
6. श्री तुलसी सुपुत्र श्री बरडू, निवासी ग्राम माशु, तहसील पावटा साहिब ।
7. श्रीमती मला पत्नी श्री बलगी राम, निवासी ग्राम बनोर, तहसील पावटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ।
8. मृतक मेहर सिंह के जायज वारसान—द्वारा श्री बारू सुपुत्र श्री बुधिया निवासी, ग्राम माशु (भाई) ।
9. मृतक श्री चेत राम के जायज वारसान—अर्जुन सिंह व फते सिंह पुत्रान श्री चेत राम, निवासी ग्राम माशु, मोहन सिंह व सुरेश (नाबालिग) द्वारा श्री अर्जुन सिंह सुपुत्र श्री चेत राम, निवासी ग्राम माशु, जिला सिरमौर (वली सरपरस्त) गारडीयन ।
10. मृतक श्री कलमु सुपुत्र श्री रामदास के जायज वारसान:— हीरा, मेहरू, कान्शु पुत्रान श्री कलमु, निवासी ग्राम माशु, तहसील पावटा साहिब ।

रवीजन पटीशन बरखिलाफ हुक्म सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पावटा साहिब

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में उपरोक्त प्रतिवादी नं० 1 ता० 10 को कई बार अदालत हजा में समन जारी किये गये मगर प्रतिवादी नं० 1 ता 10 पर समन की तामील नहीं हो सकी । इससे अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि इन पर तामील समन साधारण तरीका से होनी कठिन है । अतः उपरोक्त प्रतिवादी नं० 1 ता 10 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 30-11-88 को सुबह 10.00 बजे हमारी अदालत मुकाम पावटा साहिब में स्वयं तथा बतौर जाइज वारसान, असालतन व वकालतन उपस्थित होकर पैरवी मुकदमा करें अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायगी ।

मोहर । आर० एस० गुप्ता,
कलैक्टर, पावटा साहिब ।

इश्तहार जेर आर्डर 5, रूल 20 जाब्ता दीवानी

ब अदालत श्री डी० एस० नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चौपाल, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश)

श्री मोही राम पुत्र चजिया, निवासी ग्राम बाहल खास, परगना बाहल, तहसील चौपाल, जिला शिमला । . . फिक अव्वल ।

बनाम

1. श्री लायक राम, 2. श्री जाती राम, 3. श्री गोपाल सिंह 4. श्री मोहन सिंह सभी पुत्रों, 5. उमा (पुत्री), 6. श्रीमति आशा, (पुत्री) श्री देवनु, ग्राम निवासी बाहल खास, परगना बाहल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, 7. श्री वीरू पुत्र सानिया, पुत्र श्री देवनु, ग्राम निवासी बाहल खास, परगना बाहल, तहसील चौपाल, जिला शिमला

फिकैन दोयम ।

8. श्रीमती विमला (पुत्री), 9. श्री मनि राम [illegible] बेवा ग्राम बाहल खास, परगना बाहल, तहसील चौपाल, जिला शिमला 10. श्री मेहरू पुत्र श्री चजिया ग्राम बाहल खास, परगना बाहल, तहसील चौपाल, जिला शिमला ।

तरतीबी फरीक दोयम ।

प्रार्थना पत्र तकसीम अराजी खाता खतौनी नं० 8/9-10 खसरा नम्बरान 2798, 2833/11, 2833/12 मिन, 2833/15, 2833/26, 2833/12 किते 6 रकबा तादादी 28-3 बिस्वा वाका चक बाहल खास मुश्तरका फिकैन है जिसमें 1/2 भाग मन अव्वल है व तरतीबी फरीक दोयम नं० 10 मेहरू है । 1/2 भाग फीकैन दोयम नं० 1 ता 7 है ।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में फरीक दोयम श्री लायक राम को कई बार समनात जारी किये गये हैं परन्तु साधारण ढंग से तामील समनात नहीं हो सकी । अतः प्रतिवादी को इस इश्तहार नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि मिति 18-11-88 को असालतन व वकालतन हमारी अदालत मुकाम चौपाल में हाजर आवें और पैरवी मुकद्दमा करें और हाजर न आने की स्थिति में प्रतिवादी के खिलाफ कार्यवाही एक तरफा हस्ब जाब्ता अमल में लाई जायगी ।

आज दिनांक 6-10-88 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

डी० एस० नेगी,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चौपाल,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ।

इश्तहार जेर आर्डर 5, रूल 20, जाब्ता दीवानी

ब अदालत श्री डी० एस० नेगी सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री माही राम पुत्र चूंजोया, ग्राम जाडला, परगना बाहल, तहसील चौपाल, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश ... फरीक अव्वल।

बनाम

1. श्री लायक राम, 2. जालो राम, 3. श्री गोपाल, 4 मोहन सिंह पुत्र श्री बेबनू, ग्राम बाहल खास, परगना बाहल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 5. श्रीमती उमा, 6. श्रीमती याशो पुत्रियां श्री बेबनू, ग्राम बाहल खास, परगना बाहल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 7. श्री वीरू पुत्र श्री मनिया, ग्राम निवासी बाहल खास, परगना बाहल, तहसील चौपाल, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश, 8. श्री कलिया पुत्र श्री मोहनू, ग्राम निवासी जाडला, परगना बाहल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, 9. श्री मोहनू पुत्र नृजिया, ग्राम जाडला, परगना बाहल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश .. फरीक दोयम।

दरख्वास्त तकसीम अराजी खाता खतौनी नं० 38/58-59 खसरा नम्बरान 2062, 2199/9, 2061, 2064, 2067, 1967, किते 6 रकबा तादादी 8-15 बिघा चक जाडला मुशतरका मिलकीयत है जिसमें 1/2 भाग फरीक अव्वल व तरतीबी फरीक नं० 9 मोहनू है। और 1/2 भाग फरीक दोयम 1 ता 7 है।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में फरीक दोयम लायक राम को कई बार सम्मनात जारी किये गये हैं परन्तु साधारण ढंग से तामील सम्मनात न हो सकी। अतः प्रतिवादी को इस इश्तहार नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि मिति 18-11-1988 को असालतन व वकालतन हमारी अदालत मुकाम चौपाल में हाजर आवें और पैरवी मुकद्दमा करें और हाजर न आने की स्थिति में प्रतिवादी के खिलाफ कार्यवाही एक तरफा हस्व जाब्ता अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 5-10-88 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

देवा सिंह नेगी,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी चौपाल,
जिला शिमला (हि० प्र०)

इश्तहार जेर आर्डर 5, रूल 20, जाब्ता दीवानी

ब अदालत श्री डी० एस० नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चौपाल, जिला शिमला

श्री कुला राम पुत्र श्री स्यारू, ग्राम बम्टा, परगना बम्टा, तहसील चौपाल, जिला शिमला। ... फरीक अव्वल।

बनाम

श्री दरू पुत्र मनिया, ग्राम बम्टा, परगना बम्टा, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश) ... फरीक दोयम।

दरख्वास्त सेहत इन्दराज अराजी खाता खतौनी नं० 4/4 मिन, खसरा नं० 826/6, रकबा तादादी 5-13 बिघा वाका चक बम्टा, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में फरीक दोयम श्री दरू को कई बार सम्मनात जारी किये गये हैं परन्तु साधारण ढंग से तामील सम्मनात नहीं हो सकी। अतः प्रतिवादी को इस इश्तहार नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि मिति 17-11-88 को सुबह 10 बजे असालतन व वकालतन हमारी अदालत मुकाम चौपाल में हाजर आवें और पैरवी मुकद्दमा करें। और हाजर न आने की स्थिति में प्रतिवादी के खिलाफ कार्यवाही एक तरफा हस्व जाब्ता अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 6-10-88 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

देवा सिंह नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चौपाल, जिला शिमला (हि० प्र०)

ब अदालत श्री अशोक मलहोत्रा, सब-रजिस्ट्रार, धर्मशाला

प्रार्थना पत्र जेर धारा 40/41

बुद्धि सिंह पुत्र आषु राम सुपुत्र वीर सिंह, वासी काटला, मौजा करेरी, तहसील धर्मशाला जिला कांगड़ा ... वादी।

बनाम

1. आम जनता 2. श्रीमती चम्बुली देवी, 3. आशा देवी, 4. कुमारी मस्या बवा पुत्रियां व 5. श्रीमती तारा देवी विधवा आषु राम, वासी काटला मौजा करेरी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ... प्रतिवादीगण।

विषय: प्रार्थना पत्र जेर धारा 40/41 भारतीय पंजीकरण अधिनियम।

श्री बुद्धि सिंह सुपुत्र आषु राम, वासी काटला, मौजा करेरी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ... प्रार्थी।

हरगाह आम व खास (प्रतिवादीगण) को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वादी ने एक प्रार्थना-पत्र जेर धारा 40/41 भारतीय पंजीकरण अधिनियम के अधीन हमारे कार्यालय में वसीयत पंजीकरण करने हेतु वसीयत नामा दिनांक 6-2-88 लिखित श्री आषु राम सुपुत्र श्री वीर सिंह बहक बुद्धि सिंह सुपुत्र आषु राम, वासी काटला, मौजा करेरी, तहसील धर्मशाला पेश की है। यदि किसी व्यक्ति को इस वर्णित नामा को पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन हमारे कार्यालय में दिनांक 5-12-88 को प्रातः 10 बजे हाजिर आकर अपने एतराजात पेश कर सकता है अन्यथा कार्यवाही हस्व जाब्ता अमल में लाई जायेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 15-10-88 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय द्वारा जारी हुआ है।

मोहर।

ए० के० मलहोत्रा,
सब-रजिस्ट्रार, धर्मशाला।

ब अदालत श्री पी० सी० कपूर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी

ब मुकद्दमा।

श्री मगत राम सुपुत्र मनसा राम, जाति कुम्हार, निवासी खाबल, ई० मम्मा, तहसील जोगिन्द्र नगर ... प्रार्थी।

बनाम

1. श्री मनन्द सुपुत्र थालिया, जाति कुम्हार, निवासी खाबल, ई० मुमा, 2. पदमा देवी, 3. मु० हिमाचली देवी पुत्रियां मु० पार्वती, 4. मु० रुकमणी देवा छकु, 5. मगा राम सुपुत्र ठाकर दास, 6. अन्कर सिंह, 7. ससार चन्द, 8. ईश्वर चन्द, 9. जगदीश चन्द, 10. सुरेश चन्द पिसरान जीवन, जाति खत्री, निवासी मण्डी शहर ... फरीक दोयम।

दरख्वास्त सेहत गिरदावरी

उपरोक्त मुकद्दमा में फरीक दोयम को कई बार समन जारी किये गये, परन्तु समन की तामील नहीं हो रही है। अतः अदालत हजा को विश्वास हो गया है कि फरीक दोयम पर समन की तामील साधारण तरीका से होना असम्भव है।

अतः उपरोक्त जुमला फरीक दोयम बजरिया इश्तहार जेर आर्डर 5, नियम 20, सी० पी० सी० सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 22-11-88 को असालतन व वकालतन अदालत हजा में हाजर होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 17-10-88 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर । पी० सी० कपूर,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जोगिन्द्र नगर, तहसील मण्डी ।

ब अदालत श्री सीता राम शर्मा, सब-रजिस्ट्रार-कम-तहसीलदार कांगड़ा

मकदमा नम्बर 7 आफ 1988

श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री उजागरमल, वासी रेहलू ..प्रार्थी ।

बनाम

सर्व जनता ..प्रत्यार्थी

दरख्वास्त:—बाबत रजिस्ट्रार करवाने वसीयतनामा जेर धारा 40/41 भारतीय रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908 हेतु ।

मुकदमा मुन्दर्जा उनवान बाला में हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री उजागरमल, वासी रेहलू, तहसील कांगड़ा ने मिति 23-6-88 को इस कार्यालय में दरख्वास्त दी है कि श्री रघुराम सुपुत्र अलारखा, जाति बाल्मीकि, वासी रेहलू, तहसील कांगड़ा ने एक वसीयत नामा बहक प्रार्थी के नाम की जावे । जिस की तारीख पेशी 5-12-88 को इस अदालत में रखी गई है यदि इस सम्बन्ध में किसी को किसी किस्म का उजर या एतराज हो तो वह उपरोक्त तारीख को अमालतन या वकालतन हाजिर अदालत 10 बजे आकर पेश कर सकता है । इसके बाद कोई उजर काबिल समायत न होगा और प्रार्थना-पत्र की समायत एक तरफा होकर वसीयत पंजीकृत कर दी जायेगी ।

आज ब तारीख 22-10-88 मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया ।

मोहर । सीता राम शर्मा,
सब-रजिस्ट्रार-कम-तहसीलदार, कांगड़ा ।

अदालती इश्तहार

क अदालत श्री रामेश्वर शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कोटखाई

मुकदमा तक्सीम:

श्री धर्म सिंह .. वादी ।

बनाम

गुलाबी आदि वासी पाली .. प्रतिवादीगण ।

उनवान.—दरख्वास्त तक्सीम जेर धारा 123 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम ।

नोटिस बनाम :—श्री पदम सिंह पुत्र श्री परमा नन्द, वासी भवाणा (पार्मा), परगना बघाट, तहसील कोटखाई ।

मकदमा उपरोक्त बाला में उपरोक्त प्रतिवादी को कई बार समन जारी किए गए मगर रिपोर्ट समन कुनिन्दा अनुसार प्रतिवादी समन लेने में टालमटोल करता है इस लिए प्रतिवादी की तामील साधारण ढंग से करवाया जाना कठिन है । अत. उपरोक्त प्रतिवादी को इस नोटिस द्वारा हिमाचल प्रदेश राजपत्र सूचित किया जाता है कि वह बराए पैरवी मकदमा अमालतन या वकालतन दिनांक 16-11-88 को प्रात: 10 बजे हाजिर अदालत आवें अन्यथा इसके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 12-10-88 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

मोहर । श्री रामेश्वर शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कोटखाई,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री सुन्दर सिंह चौहान, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पालमपुर

नम्बर मुकदमा	तारीख पेशी	किस्म मुकदमा
119/87	22-11-88	तकसीम

बिशम्बर दास बनाम उतमी देवी आदि

बनाम:— प्रताप चन्द सुपुत्र घसीटा राम, राम सिंह सुपुत्र सालीग राम, ओम प्रकाश, किशन लाल, प्रभु राम, सुभाष चन्द, पिसरान शंकर, मकना गढ़ धाम, मौजा गढ़ जमूला, तहसील पालमपुर .. मसूल अलहम ।

दरख्वास्त तकसीम भूमि मन्दर्जा खाता न0. 21 खतौनी नं0. 31, 32 खसरा नम्बरान 290, 294, 295, 397 किस्म 4 तादादी 0-17-28 हैक्टेयर अनुसार जमाबंदी साल 1982-83 वाक्या महाल जमूला, मौजा गढ़ जमूला, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ।

ब मुकदमा उपरोक्त में मसूल अलहम को इस अदालत से कई बार समन जारी हो चुके हैं और उनकी तामील साधारण ढंग से नहीं हो रही है । अत: उक्त मसूल अलहम को इस इश्तहार गजट द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 22-11-88 को प्रात: 10 बजे अमालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकदमा करें । वसूरत दीगर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।

यह इश्तहार आज दिनांक 12-10-88 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

मोहर । सुन्दर सिंह चौहान,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी
पालमपुर, (कांगड़ा) हि0 प्र0 ।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय-श्रेणी तहसील रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

ब मुकदमा:—टिकम राम शिशी राम सुपुत्र देवी सरन, निवासी कोटी 15/20 तहसील रामपुर, जिला शिमला ।

बनाम

श्री वैन्जू सुपुत्र दोली, निवासी कोटी 15/20, तहसील रामपुर जिला शिमला ।

दरख्वास्त बराए तस्दीक इन्तकाल मबफूल उल खबरी वैन्जू फरीक दोयम वाक्या चक मोलगी, तहसील रामपुर, जिला शिमला ।

श्री वैन्जू फरीक दोयम मालिक भूमि वाक्या चक्क मोलगी का अरसा 50 साल से लापता होना तस्दीक होता है । उसके मरने जीने की कोई भी खबर नहीं जिस बारे इन्तकाल नं0 10 मबफूल उलखबरी वाक्या चक मोलगी 15/20 दर्ज है ।

अत: इश्तहार जेर आर्डर 5, रूल 20, सी० पी० सी० जारी करके वैन्जू मजकूर को सूचित किया जाता है कि यदि वह जीवित हो तो बमकाम रामपुर बराए पैरवी इन्तकाल मबफूल उलखबरी मिति 30-11-88 बवक्त 10 बजे अमालतन या वकालतन हाजिर आवें वसूरत अदम हाजरी कार्यवाही बर इन्तकाल उल जाब्तानुसार अमल में लाई जायेगी ।

आज दिनांक 24-10-88 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर । पी० सी० ठाकुर,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर ।

इश्तहार

ब अदालत श्री गणेश दास वैद्य, सब-रजिस्ट्रार (तहसीलदार) सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0	तारीख रजुआ
8/88	10-10-88

धनीराम, अनन्त राम पुत्रान बरडू, मकना नोग्रा व शिव राम पुत्र सौणू मकना राजपुरा, परगना व तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश सायलान ।

बनाम

श्राम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 40/41 भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट बाबत तसदीक फरमाये जाने वसीयत नामा ।

नोटिस बनाम श्राम जनता

श्राम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि श्री बधू पुत्र चूहडू, मकना गवायहण, परगना व तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने वसीयत श्री शिवराम पुत्र सौणू, मकना राजपुरा व अनन्त राम, धनीराम पुत्रान बरडू, मकना नोग्रा, परगना व तहसील सदर, जिला बिलासपुर के नाम दिनांक 3-6-1988 को तहरीर कराई है। श्री बधू पुत्र चूहडू दिनांक 28-6-88 को फौत हो चुका है। धनी राम व शिव राम ने वसीयतनामा को तस्दीक करवाने के लिए दरख्वास्त गुजारी है जिसकी तारीख पेशी 16-11-88 है। यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वसीयतनामा तस्दीक करवाने में कोई उजर हो तो वह दिनांक 16-11-88 को असालतन या वकालतन हाजर अदालत आकर प्रातः 10 बजे अपना उजर पेश कर सकता है वरना इसके बाद कोई उजर समायत न होगा ।

आज दिनांक 15-10-88 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत को जारी किया गया ।

मोहर । गणेश दास वैद्य,
सब रजिस्ट्रार (तहसीलदार) सदर,
जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत जनाब तहसीलदार व अख्त्यारात सब-रजिस्ट्रार, देहरा

मुकदमा वर्ष 1988

सुरेश कुमार आदि पिसरान प्रताप सिंह, वासी सपड़ू, मौजा खैरियां ..सायलान ।

बनाम

श्राम जनता ..मसूल अलेह ।

दरख्वास्त बाबत पंजीकरण वसीयत जेर धारा 40/41 भारतीय रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत मुतवफी श्री प्रताप सिंह पुत्र दित्तू राम, निवासी सपड़ू, मौजा खैरियां, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा तहरीर शुदा दिनांक 2-11-87 ।

नोटिस बनाम श्राम जनता ।

उपरोक्त विषय पर श्राम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त वसीयतनामा को भारतीय रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की धारा 40/41 के अन्तर्गत पंजीकृत करने में कोई आपत्ति व एतराज हो तो अदालत हजा में दिनांक 23-11-1988 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजर आवें । अदम हाजरी कार्यवाही जाब्ता अमल में लाई जाएगी ।

आज दिनांक 24-10-1988 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

हस्ताक्षरित/-
मोहर । सब-रजिस्ट्रार, देहरा ।

ब अदालत जनाब तहसीलदार व अख्त्यारात सब-रजिस्ट्रार, देहरा

मुकदमा नं० 13/1987

होश्यार सिंह आदि बनाम मकोड़ी देवी आदि

पंजीकरण वसीयतनामा मिनजानब मस्त दास बहक होश्यार सिंह आदि ।

नोटिस बनाम

(1) श्रीमती मकोड़ी देवी विधवा मस्त दास,
(2) रोशनी देवी पुत्री मस्त दास,
(3) श्राम जनता ।

वाशिन्दगान जम्बल, तहसील देहरा ।

उपरोक्त विषय पर श्राम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त वसीयतनामा को भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 40/41 के अन्तर्गत पंजीकृत करने में कोई उजर हो तो दिनांक 23-11-1988 को प्रातः 10 बजे अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजर आवें । अन्यथा दीगर कार्यवाई अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 24-10-1988 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

हस्ताक्षरित/-
मोहर । सब-रजिस्ट्रार,
देहरा ।

ब अदालत जनाब भगवान दास मदान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, घुमारवीं, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

मुकदमा तकसीम

धर्मी चन्द सुपुत्र भगत, मकना छत, परगना मुन्हाणी, तहसील घुमारवीं ।

बनाम

तुलसी सुपुत्र नैन सिंह, कौशल्या बेवा गंगा, शमशेर सिंह सपुत्र मान सिंह, रत्नी देवी सुपुत्री रामदास, सुख राम सुपुत्र कपूरा, मोहन सिंह सपुत्र हजारू, शिव सिंह (सुपुत्र), साहब देई सुपुत्री हजारू, महदेव, नरदेव सुपुत्रान लेख राम, नकलदेव बजरिया भाई महदेव, राम सिंह, परस राम सुपुत्रान गोविन्द, परदीप, प्रताप सिंह सुपुत्रान अमर सिंह, चम्पा सुपुत्री अमर सिंह, करमो बेवा अमर सिंह, मौजा छत, परगना मुन्हाणी, ज्ञणू, बुद्धि सिंह, धर्म सिंह, सुपुत्रान गोपाला, मौजा ममलोहल, परगना मुन्हाणी, रिडकू, तिथि सुपुत्री गोपाला, जीत राम, कर्म सिंह, राम सिंह सुपुत्र व प्रेमी सुपुत्री राम दयाल, मौजा छत, प्यार सिंह, लच्छमण सिंह सुपुत्रान रामदित्तू, भाग सिंह, शमशेर सिंह, शकर सिंह, सुपुत्रान दया राम, करतार सिंह, नन्द लाल, शिव राम सुपुत्र गोविन्द प्रकाश चन्द सुपुत्र सुख राम, मौजा छत, अमर सिंह, इन्दर सिंह, रत्न सिंह सुपुत्रान जय राज, मौजा ममलोहल, सरूप सिंह सुपुत्र हीरा, मौजा जन्दोरी, छहर सिंह, राम सिंह, प्रताप सिंह सपुत्र ईश्वर सिंह, मौजा जन्दोरी, रखोदेई बेवा जयसिंह, जगदीश सिंह, जीत सिंह, शेर सिंह सुपुत्रान देवी सिंह, जालम सिंह, रणजीत सिंह, कशमीर सिंह सुपुत्रान निहाला, कृष्ण सिंह, लेख राम, जगदीश, अमर सिंह सुपुत्र व श्रीमती रामकू बेवा मन्शी राम, मौजा ममलोहल, परगना अजमेर पुर, सुभाष चन्द, रणजीत, नन्द लाल सपुत्र व सावित्री सुपुत्री महन्तू, मौजा छत परगना मुन्हाणी, सरवण, प्रीतम, जगदीश पुत्र व मन्नी बेवा मणिया, अवतार सिंह सुपुत्र व अमरी सुपुत्री विद्या बेवा राम चन्द, प्रेम सिंह, मोहन सिंह सुपुत्र व प्रेमी, आशा पुत्रियां हीरु व सुनेहरू बेवा हीरु, दया राम, हरदयाल सुपुत्र लदरिया, कर्म देई पत्नी नन्त राम, साहब देई पत्नी भगत राम, कलासी बेवा नूरू, सुख राम सुपुत्र गोविन्द, मौजा दमोडी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हरी राम सुपुत्र सुन्दर, मौजा छत, राम सिंह सुपुत्र लामा, मौजा थपर, परगना गेहड़वीं, जय राम सुपुत्र लदुरिया, शिव सिंह, कर्म सिंह, सुपुत्रान परस राम, मौजा कण्डयार, सुदामा सिंह सुपुत्र दीवान चन्द, मौजा दमोड़ी तहसील बड़सर, धर्मो कृष्ण सुपुत्र जानू, प्रकाश, बाबू, हरबंस, हरदयाल सुपुत्र कृष्ण, मौजा छत, परगना मुन्हाणी, मन्शा सुपुत्र गोविन्द, करतार सिंह, नन्द लाल, श्री राम, शिव सिंह, कर्म सिंह, सुपुत्र परस राम, मौजा कण्डयार, परगना मुन्हाणी, श्री राम, कर्मो, सदाराम, कुलदीप सिंह, जय देई, सुन्दरी, प्यार सिंह, होशियार सिंह, बलदेव सिंह, मेहर सिंह, प्रभदयाल, प्रेम सिंह, मौजा छत, परगना मुन्हाणी, शंकरी पत्नी तुलसी, मौजा दमोड़ी, तहसील बड़सर, हुकमदीन, निजामदीन, ताजदीन सुपुत्रान माधू, मौजा छन्जयार छत, परगना मुन्हाणी, भण्डारी, बली राम सुपुत्र हरी राम, मौजा छत, जगदीश सुपुत्र बीरु, मौजा छत, परगना मुन्हाणी ।

दरख्वास्त तकसीम अराजी तादादी 171-14 बीघा, खाता/खतौनी नं० 91/176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, नम्बर खसरा 365, 538, 551, 552, 553, 554, 556, 569, 570, 1131, 1137, 1146, 1149, 1173, 1206, 1351, 1368,

1369, 1371, 1382, 1389, 1125, 1490, 1492/1, 1408, 1707, 1751, 999, 541, 539, 540, 550, 558, 573, 563, 544, 543, 545, 546, 564, 542, 547, 574, 579/1 1135, 571, 572, 575, 576, 1136, 548, 549, 942, मौजा, छत, परगना मुन्हाणी, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर।

हरगाह उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में समस्त फरीक दोयम को कई बार समन जारी किए गए परन्तु तामील सही नहीं हो रही है। अदालत को यकीन हो चुका है कि तामील असालतन नहीं हो सकती है। अतः समस्त फरीक दोयम को तल्बी बजरिया इश्तहार आर्डर 5, रूल 20, जाब्ता दीवानी उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम सूचित किया जाता है कि तकसीम करवाने में कोई उजर एतराज हो तो अपनी सुनवाई तारीख पेशी मुकर्र 18-11-88 को सुबह 10 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर कर सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 11 अक्तूबर, 1988 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर निशान अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

भगवान दास मदान,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
घुमारवीं, जिला बिलासपुर।

ब अदालत जनाब भगवान दास मदान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, (तहसीलदार), घुमारवीं

मुकद्दमा तकसीम

श्री अमी चन्द सुपुत्र श्री घुंगर, गांव छत, परगना मुन्हाणी, तहसील घुमारवीं।

बनाम

(1) कर्म देई, (2) साहब देई पुत्रियां हजारू, (3) मोहन सिंह सुपुत्र हजारू, (4) दुर्गा राम, (5) प्रेमा राम, (6) मिलखी राम पुत्रान नथू, (7) निवासी गांव छत, परगना मुन्हाणी, तहसील घुमारवीं, (7) बली राम, (8) जगदीश सिंह पुत्रान बोहरू, मौजा स्योता, परगना मुन्हाणी, (9) हरनाम सिंह, (10) जगदीश सिंह, (11) बलवीर सिंह, (12) जोगिन्द्र सिंह, (13) प्रकाश चन्द, (14) लच्छमण पुत्रान सुख राम, मौजा स्योता, परगना मुन्हाणी।

दरख्वास्त तकसीम अराजी तादादी 37-16 बीघा नम्बर खसरा 1166, 1181, 1185, 1230, 1231, 1301, 1306, 1307, 1311, 1314, 1394, खाता/खतौनी नं0 10/25 मौजा छत, परगना मुन्हाणी, तहसील घुमारवीं।

हरगाह उपरोक्त मुकद्दमा में फरीक दोयम को अदालत हजा में कई बार समन जारी किए गए परन्तु तामील सही नहीं हो रही है। अदालत को यकीन हो चुका है कि फरीक दोयम की तल्बी असालतन नहीं सकती है। अतः समस्त फरीक दोयम की तल्बी बजरिया इश्तहार आर्डर 5, रूल 20, जाब्ता दीवानी उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में सूचित किया जाता है कि यदि फरीक दोयम को तकसीम के बारे कोई उजर एतराज हो तो वे तारीख पेशी 18-11-88 को 10 बजे हाजिर होकर अपनी सुनवाई कर सकते हैं। अतः मुकर्र दिनांक 18-11-88 को हाजर अदालत आवें। गैर-हाजरी की सूरत में एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 14 अक्तूबर, 1988 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर निशान अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

भगवान दास मदान,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
घुमारवीं, जिला बिलासपुर।

ब अदालत जनाब भगवान दास मदान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा तकसीम

फुला देवी बेवा ज्यूणू, परमला देवी सुपुत्री ज्यूणू, मौजा कुरनाड़ी, परगना स्यून, तहसील घुमारवीं।

बनाम

(1) सन्तोखा सपुत्र भंगतू (2) जीत राम सुपुत्र मेघा, मौजा कुरनाड़ी, परगना स्यून, तहसील घुमारवीं।

दरख्वास्त तकसीम अराजी तादादी 2-15 बिघा खसरा नं0 17 खेवट खतौनी नं0 12/20 मौजा कुरनाड़ी, परगना स्यून, तहसील घुमारवीं।

हरगाह उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम अराजी तादादी 2-15 बिघा नं0 खसरा 17 खेवट खतौनी 12/20 मौजा कुरनाड़ी में फरीक दोयम को कई बार अदालत हजा से समन जारी किए गए परन्तु समनों की तामील सही नहीं हो रही है। अदालत को यकीन हो चुका है कि फरीक दोयम की तामील असालतन नहीं हो सकती है। अतः फरीक दोयम को तल्बी बजरीया इश्तहार आर्डर 5 रूल 20, जाब्ता दीवानी उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में सूचित किया जाता है कि यदि फरीक दोयम को तकसीम के बारा कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि 18-11-88 को सुबह 10 बजे हाजिर होकर सुनवाई कर सकते हैं। गैर हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाई अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 11 अक्तूबर, 1988 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर निशान अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

भगवान दास मदान,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, घुमारवीं,
जिला बिलासपुर।

ब अदालत जनाब भगवान दास मदान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, घुमारवीं

मुकद्दमा तकसीम

मिका राम सुपुत्र घणगारू, निवासी लदयाणी, (सुमाड़ी), परगना अजमेरपुर।

बनाम

लच्छमण सुपुत्र घनसारू, प्रकाश सपुत्र मिलखी, निवासी लदयाणी (सुमाड़ी), परगना अजमेरपुर, प्रेम सिंह, अमी राम, सुन्दर राम सुपुत्रान नरेणु, निवासी लदयाणी (सुमाड़ी), परगना अजमेरपुर।

दरख्वास्त तकसीम अराजी तादादी 8-7 बिघा नम्बरान ख0 62, 62/1 खेवट खतौनी नं0 28/37 मौजा सुमाड़ी, परगना अजमेरपुर।

हरगाह उपरोक्त मुकद्दमा में फरीक दोयम को कई बार अदालत हजा से समन जारी किए गए परन्तु तामील सही नहीं हो रही है। अदालत को यकीन हो चुका है कि फरीक दोयम की तामील असालतन नहीं हो सकती है। अतः समस्त फरीक दोयम की तल्बी बजरिया इश्तहार आर्डर 5, रूल 20, जाब्ता दिवानी उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में सूचित किया जाता है कि यदि फरीक दोयम को तकसीम बारे कोई उजर एतराज हो तो मुकर्र तिथि 18-11-88 को सुबह 10 बजे हाजिर आकर सुनवाई कर सकते हैं। गैर हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11 अक्तूबर, 1988 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर निशान अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

भगवान दास मदान,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
घुमारवीं, जिला बिलासपुर।

ब अदालत जनाब भगवान दास मदान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, (तहसीलदार) घुमारवीं

मुकद्दमा तकसीम

अमी चन्द सुपुत्र घुंगर, गांव छत, परगना मुन्हाणी, तहसील घुमारवीं।

बनाम

(1) सोहन सिंह सुपुत्र हजारू, (2) लेख राम सुपुत्र रामदित्ता,

(3) राजेन्द्र सिंह, (4) बलबीर सिंह, (5) राजेश कुमार, (6) राज कुमार सुपुत्रान काशी राम, (7) हरनाम सिंह (8) जगदीश सिंह, (9) बलबीर सिंह, (20) जोगिन्द्र सिंह, (11) प्रकाश चन्द, (12) लच्छमण सिंह सुपुत्रान गुरु राम, मौजा छत, परगना सुन्हाणी, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, (13) काशी राम, (14) सदा राम, (15) कुलदीप सिंह, (16) श्रीमती विधवा सुपुत्रान गंगा राम, मौजा छत, परगना सुन्हाणी ।

दरख्वास्त तकसीम अराजी तादादी 11-13 बिघा खसरा नं0 1342 मिन, 1342 मिन, खाता खतौनी नं0 11/26, 27 मौजा छत, परगना सुन्हाणी, तहसील घुमारवीं ।

हरगाह उपरोक्त मुकद्दमा में फरीक दोयम को अदालत हजा से कई बार समन जारी किए गए परन्तु तामील सही नहीं हो रही है। अदालत को यकीन हो चुका है कि फरीक दोयम की तल्बी असालतन नहीं हो सकती है । अतः समस्त फरीक दोयम को तल्बी बजरिया इश्तहार आर्डर 5, रूल 20, जाब्ता दिवानी उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में सूचित किया जाता है कि यदि फरीकदोयम को तकसीम के बारे अगर एतराज हो तो वे तारीख पेशी 18-11-88 को सुबह 10 बजे हाजर होकर अपनी सुनवाई कर सकते हैं । अतः मुकर्र दिनांक 18-11-88 को हाजर अदालत आवें । गैरहाजरी की सूरत में एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 14 अक्तूबर, 1988 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर निशान अदालत से जारी किया गया ।

मोहर ।

भगवान दास मदान,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
घुमारवीं ।

ब अदालत जनाब भगवान दास मदान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), घुमारवीं

मुकद्दमा तकसीम

अमी चन्द सुपुत्र घुंगर, मौजा छत, परगना सुन्हाणी ।

बनाम

(1) कर्म देई, (2) साहब देई पुत्रियां हजारू, (3) सोहन सिंह, (4) हरनाम सिंह, (5) जगदीश सिंह, (6) बलबीर सिंह, (7) जोगेन्द्र सिंह, (8) प्रकाश चन्द, (9) लच्छमण सिंह, (10) सुरेन्द्र सिंह सुपुत्र शिव सिंह, मौजा छत, परगना सुन्हाणी, तहसील घुमारवीं, (11) बसन्ता राम, (12) जगदीश चन्द (13) बलदेव सिंह, (14) कर्म सिंह, (15) प्यार चन्द, पुत्रान फांदी, मौजा छत, परगना सुन्हाणी, (16) धनू राम, (17) धर्म सिंह, (18) सीता राम पुत्रान नौधा, (19) राम लाल सुपुत्र छजू, मौजा छत, परगना सुन्हाणी ।

दरख्वास्त तकसीम अराजी तादादी 8-7 बीघा नं0 ख0 357, 1242, 367, 376, 1279, खाता खतौनी नं0 12/25,29, 30, 31, मौजा छत, परगना सुन्हाणी, तहसील घुमारवीं ।

हरगाह उपरोक्त मुकद्दमा में फरीक दोयम को अदालत हजा से कई बार समन जारी किए गए परन्तु तामील समन नहीं हो रही है। अदालत को यकीन हो चुका है कि फरीक दोयम की तल्बी असालतन नहीं हो सकती है। अतः समस्त फरीक दोयम की तल्बी बजरिया इश्तहार आर्डर 5, रूल 20, जाब्ता दीवानी उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में सूचित किया जाता है कि यदि फरीक दोयम को तकसीम के बारे कोई उजर, एतराज हो तो वे तारीख पेशी 18-11-88 को 10 बजे हाजिर होकर अपनी सुनवाई कर सकते हैं। अतः मुकर्र दिनांक 18-11-88 को हाजर अदालत आवें । गैर हाजरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाई अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक अक्तूबर 1988 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

मोहर ।

भगवान दास मदान,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
घुमारवीं, जिला बिलासपुर ।

ब अदालत जनाब भगवान दास मदान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा तकसीम

रत्न लाल सुपुत्र रामानन्द, मौजा बाड़ी मझेड़वा, परगना स्यून ।

बनाम

राम किशन, राम लाल, रोशन लाल सपुत्रान रामानन्द, राम लाल, जमना दास सपुत्र गंगा राम, बसन्ती, अयोध्या, शिब्बी पुत्रियां गंगाराम; राजू, पंगल सुपुत्रान सदा राम, कुसमा, अनीता पुत्रियां सदा राम, गंगा देवी बेवा सदा राम, मौजा बाड़ी मझेड़वा, परगना स्यून, तहसील घुमारवीं ।

दरख्वास्त तकसीम अराजी तादादी 95-13 बिघा नं0 ख0 25, 125, 153, 376, 378, 386, 397, किता 7, मौजा बाड़ी मझेड़वा, तथा अराजी तादादी 3-17 बीघा, नं ख0 159 मौजा कोटला, परगना स्यून, तहसील घुमारवीं ।

हरगाह उपरोक्त मुकद्दमा में फरीक दोयम को कई बार समन जारी किए गए परन्तु तामील सही नहीं हो रही है । अदालत को यकीन हो चुका है कि तामील असालतन नहीं हो सकती है । अतः समस्त फरीक दोयम को तलबी बजरिया इश्तहार आर्डर 5, रूल 20, जाब्ता दीवानी उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में सूचित किया जाता है कि यदि फरीक दोयम को तकसीम करवाने में कोई उजर एतराज हो तो अपनी सुनवाई तारीख पेशी दिनांक 18-11-88 को सुबह 10 बजे आकर अदालत हजा में कर सकता है । गैर-हाजरी की सूरत में एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 11 अक्तूबर, 1988 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के जारी किया गया।

मोहर ।

भगवान दास मदान,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
घुमारवीं, जिला बिलासपुर ।

ब अदालत राजेन्द्र कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भोरंज जिला हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश)

मुकद्दमा :—तकसीम भूमि खसरा नं0 260 ता0 21-0 मरला वाक्या टीका पपलाह तप्पा मेवा ।

मु0 नं0 16/88

देवी राम बनाम सालीग्राम आदि ।

नोटिस बनामः—

1. सालीग्राम सुपुत्र महन्त, 2. गीता देवी बेवा, 3. जैनी राम सुपुत्र 4. सीता देवी पुत्री हंस, 5. कान्ता देवी सुपुत्री हंस नाबालिग बजरिया गीता देवी माता खुद, 6. कणक बेवा गोपाला, 7. गोविन्द सुपुत्र लोहका, 8. बसन्ती देवी बेवा भगत, 9. लशकरी, 10. काली-दास, पिसरान भगत, 11. राम सहाई सुपुत्र श्यामा, 12. अजय कुमार सुपुत्र राम सहाई, 13. बलदेव सिंह सुपुत्र राम सहाई, नाबालिग बजरिया पिता खुद राम सहाई, 14. कृष्णी देवी बेवा मुन्शी राम, वासी पपलाह तप्पा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

... प्रतिवादीगण।

उपरोक्त मुकद्दमा में उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किये गये मगर रिपोर्ट तामील कुनिन्दा अनुसार उनकी तामील असालतन न हो रही है क्योंकि वे जानबूझ कर अदालत में हाजिर आने में

...ो पूर्ण विश्वास हो चुका है ... का तामील असालतन करवाया ... है । अतः प्रतिवादीगण को इस राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे बराये पैरवी मुकद्दमा असालतन या वकालतन 16-11-1988 को प्रातः 10 बजे हाजिर अदालत आवें अन्यथा खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाई अमल में लाई जावेगी ।

दिनांक 10-10-1988 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से हुआ ।

मोहर ।

राजेन्द्र कौशल,
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
भोरंज, जिला हमीरपुर ।

ब अदालत श्री राजेन्द्र कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भोरंज, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा तकसीम भूमि खसरा नं० 104 ता 3 0 वाक्या टीका पपलाह नग्गा सेवा ।

मु० नं० 17/88

देवी राम वगैरा बनाम सालीग्राम वगैरा ।

नोटिस बनाम

1. सालीग्राम सुपुत्र महन्त, 2. गीता देवी बेवा हंस, 3. जैसी सिंह सुपुत्र हंस, 4. सीता देवी सुपुत्री हंस, 5. कान्ता देवी सुपुत्री हंस, नाबालिग बजरिया माता खुद श्रीमती गीता देवी, 6. रूमकू देवी बेवा गोपाला, 7. गोविन्द सुपुत्र लोहका, 8. बसन्ती बेवा भगत, 9. लक्षकरी सुपुत्र भगत, 10. काली दास सुपुत्र भगत, 11. राम सहाई सुपुत्र ब्यासा, 12. कृष्णी देवी बेवा मुन्शी, 13. नरदेव कुमार, 14. मेहर सिंह सिमरान भगत, 15. अमर सिंह सुपुत्र महन्त वासी पपलाह, नग्गा सेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि० प्र० .. प्रतिवादीगण ।

उपरोक्त मुकद्दमा में उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किये गये मगर रिपोर्ट तामील कुनिन्दा अनुसार उनकी तामील असालतन न हो रही है क्योंकि वे जानबूझ कर अदालत में हाजिर आने में टालमटोल कर रहे हैं । इस लिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की असालतन तामील साधारण ढंग से होना कठिन है । अतः सालीग्राम आदि प्रतिवादीगण को इस राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे बराये पैरवी मुकद्दमा असालतन या वकालतन दिनांक 16-11-88 को प्रातः 10 बजे हाजिर आवें अन्यथा आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाई अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 10-10-1988 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

राजेन्द्र कौशल,
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
भोरंज, जिला हमीरपुर

ब अदालत श्री राजेन्द्र कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा—तकसीम भूमि खसरा 87-88 किता 2 ता० 0-10 वाक्या टीका पपलाह, नग्गा सेवा

मु० नं० 18/88

देवी राम आदि बनाम सालीग्राम आदि

नोटिस बनाम

1. सालीग्राम पुत्र महन्त, 2. गीता देवी बेवा हंस, 3. जैसी सिंह सुपुत्र हंस, 3. सीता देवी सुपुत्री हंस, 4. कान्ता देवी सुपुत्री हंस नाबालिग, बजरिया माता खुद श्रीमती गीता देवी, 6. गोविन्द सुपुत्र लोहका, 7. बसन्ती बेवा, 8. लक्षकरी सुपुत्र भगत, 9. काली दास सुपुत्र भगत, 10. राम सहाई सुपुत्र ब्यासा, 11. कृष्णी देवी बेवा मुन्शी, 12. किशोरी लाल सुपुत्र मेहरू, 13. सरवर सिंह सुपुत्र नेगी, वासी पपलाह, नग्गा सेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश । .. प्रतिवादीगण ।

उपरोक्त मुकद्दमा उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किये गये मगर रिपोर्ट तामील कुनिन्दा अनुसार उनका तामील असालतन नहीं रही है क्योंकि वे जानबूझ कर अदालत में हाजिर आने से टालमटोल कर रहे हैं । इस लिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उनकी असालतन तामील करवाया जाना कठिन है । अतः सालीग्राम आदि प्रतिवादीगण को इस राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि बराये पैरवी मुकद्दमा असालतन या वकालतन दिनांक 16-11-88 को प्रातः 10 बजे हाजिर अदालत आवें अन्यथा आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाई अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 10-10-1988 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

मोहर ।

राजेन्द्र कौशल,
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
भोरंज, जिला हमीरपुर ।

ब अदालत श्री राजेन्द्र कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

मु० नं० 19/88

मुकद्दमा—तकसीम भूमि खसरा नं० 89-109-123 किता 3 ता० 4-10 खसरा नं० 1212/254, 265 किता 2 ता० 3-1 खसरा नं० 1209/254 ता० 2-5 खसरा नं० 1208/254 ता० 0-10 खसरा नं० 1211/254 ता० 0-18 खसरा नं० 1210/254 ता० 0-14 कुल किता 4 ता० 12-7 वाक्या टीका पपलाह, नग्गा सेवा ।

नोटिस बनाम:

1. सालीग्राम सुपुत्र महन्त, 2. गीता देवी बेवा हंस, 3. जैसी सिंह सुपुत्र हंस, 4. सीता सुपुत्र हंस, 5. कान्ता देवी, सुपुत्री हंस नाबालिग बजरिया माता खुद श्रीमती गीता देवी 6. रूमकू देवी बेवा गोपाला, 7. गोविन्द पुत्र लोहका, 8. बसन्ती बेवा भगत, 9. लक्षकरी, 10. कालीदास सिमरान भगत, 11. कृष्णी देवी बेवा मुन्शी राम, 12. सरवर सिंह पुत्र नेगी वासी पपलाह, नग्गा सेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश .. प्रतिवादीगण ।

उपरोक्त मुकद्दमा में उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किये गये मगर तामील कुनिन्दा अनुसार उनकी तामील असालतन न हो रही है क्योंकि वे जानबूझकर अदालत में हाजिर होने में टालमटोल कर रहे हैं । इसलिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उनकी तामील साधारण ढंग से होना कठिन है अतः सालीग्राम आदि प्रतिवादीगण को इस राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे बराये पैरवी मुकद्दमा असालतन या वकालतन दिनांक 16-11-88 को प्रातः 10 बजे हाजिर अदालत आवें अन्यथा आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाई अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 10-10-1988 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

राजेन्द्र कौशल,
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
भोरंज, जिला हमीरपुर ।

ब अदालत श्री राजेन्द्र कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा:—तकसीम भूमि खसरा नं० 261-266 किता 2 ता० 2-10 वाक्या टीका पपलाह, नग्गा सेवा

मु० नं० 20/88

देवी राम आदि बनाम सालीग्राम आदि ।

नोटिस बनाम

1. सालीग्राम सुपुत्र महन्त, 2. गीता देवी बेवा हंस, 3. जैसी सिंह सुपुत्र हंस, 4. सीता देवी सुपुत्री हंस, 5. कान्ता देवी सुपुत्री हंस नाबालिग

वजीरया माता सीमा देवी खुद, 6. मुन्शी राम सुपुत्र ब्यासा, 7. कमला देवी गालाला, 8. गोविन्द सुपुत्र लीहका, 9. बसन्ती देवी, 10. लक्षकर्मी, 11. कालीदास सुपुत्र भगत, 12. राम सहाई सुपुत्र ब्यासा, 13. कश्मीरी देवी वेवा राम, 14. भैरव सिंह सुपुत्र नेगी वासी पतलाह, तप्पा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश . .प्रतिवादीगण।

उपरोक्त मुकदमा में उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किए गये मगर रिपोर्ट तामील कुनिन्दा अनुसार उनकी तामील असालतन न हो रही है। वे जानबूझ कर अदालत में हाजिर आने में टालमटोल कर रहे हैं। इसलिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील असालतन होना कठिन है। अतः सर्वसाधारण व उक्त प्रतिवादीगण को इस राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे बराये पैरवी मुकदमा असालतन या वकालतन दिनांक 18-11-88 प्रातः 10 बजे हाजिर अदालत आवें अन्यथा उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 10-10-1988 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

राजेन्द्र कौशल,
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
भोरंज, जिला हमीरपुर।

अदालत: ....

ब अदालत श्री राम सरन शर्मा, सहायक समाहर्ता, (तहसीलदार) राजगढ़, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश)

मुकदमा नं० 36/88

मु० बिन्दी देवी पत्नी केवल राम साकिन बसान्दर, राजगढ़, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश)

बनाम

... सुपुत्र नाथिया साकिन बसान्दर, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) . .प्रतिवादी।

दरख्वास्त सेहत इन्द्राज कागजात माल खसरा नं० 110/3 172 तादादी 1-8 बीघा वाक्या मौजा बसान्दर, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश)।

ज्ञापन :

मुकदमा उपरोक्त उनवान बाला में उक्त प्रतिवादी को कई बार समन जारी किये गये। मगर उनकी तामील जाब्ता नहीं हो रही है। अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उनकी तामील जाब्ता साधारण तरीके से होनी कठिन है अतः बजरिया इश्तहार प्रतिवादी उक्त को सूचित किया जाता है कि वह तिथि 16-11-88 को सुबह 10 बजे मुकाम राजगढ़ हमारी अदालत में बराए पैरवी मुकदमा असालतन या वकालतन हाजिर आवें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 13-10-88 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

राम सरन शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
(तहसीलदार) राजगढ़।

भाग 6—भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन

शून्य

भाग 7—भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं

शून्य

अनुपूरक

शून्य

भाग 1

FINANCE DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 31st October, 1988

No. 8-123/73-Fin. (T&A).—The Pre-mature retirement date of Shri Baldev Singh Khatri, Assistant Treasury Officer, Sundernagar, mentioned in the 5th line of this Department notification of even number, dated 6-8-1988 may be *read* as 1-10-1988 *instead of* 30-9-1988.

B. C. GUPTA,
Deputy Secretary (Finance)-cum-Director,
Treasuries and Accounts Organisation.

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd September, 1988

No. Health B (9)-2/88.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to promote the following Superintendent Grade-III and Superintendent Grade-IV as Superintendent Grade-I (Class-II Gazetted) in the pay scale of Rs. 825-1580, from the date they join as such:—

1. Shri Kushal Chand Thakur.
2. Shri Kailash Chander Kaushal.

They will be on probation initially for a period of two years.

The Governor, Himachal Pradesh, is further pleased to post them in the Himachal Pradesh Health and Family Welfare Directorate, Shimla-4.

O. P. YADAVA,
Secretary.

PUBLIC WORKS (A) DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 29th October, 1988

No. 1-49/69-PWD Vol-VII.—Please *read* 4th Circle *instead of* 2nd Circle appearing in 2nd line of this department notification of even number dated 29th October, 1988.

By order,
Sd/-
Commissioner-cum-Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।